बाल श्रम उन्मूलन की प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु

आयोजित

“बाल श्रम पर कोविड-19 का प्रभाव”

विषयाधारित

परामर्श

का

प्रतिवेदन

स्थान: ए० एन० सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना ।

दिनाक:19/03/2021 समय: 9.30 से 4.30

आयोजक :

सी०ए०सी०एल० बिहार,
सी०ए०सी०एल० नेशनल एड्वोकेशी यूनिट
सर्वोदय कल्याण निकेतन, एवं अभियान

सहयोग :

टी०डी०एच० जर्मनी
इण्डिया कार्यक्रम

प्रथम-सत्र

आज दिनांक 19/03/2021 को पूर्वाह्न 9:30 बजे से सी०ए०सी०एल० बिहार एवं नेशनल एड्वोकेशी यूनिट ऑफ़ सी०ए०सी०एल० के संयुक्त तत्वावधान में एवं टी०डी०एच० जर्मनी इंडिया कार्यक्रम के सहयोग से "Impact of Covid-19 on Child Labour" विषय पर ए० एन० सिन्हा० समाज अध्ययन संस्थान पटना के सभागार में एक परामर्श का आयोजन किया गया । इस परामर्श की अध्यक्षता वरीय सामाजिक कार्यकर्ता श्री चंद्रभूषण तथा संचालन शिक्षाकर्मी डॉ० अनिल कुमार राय ने की।

सर्वप्रथम सी०ए०सी०एल० बिहार के राज्य संयोजक नवलेश कुमार सिंह ने परामर्श में आए प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनन्दन किया। तदुपरांत विषय पर अपने बिचारों को प्रकट करते हुए कहा कि देश को आजाद हुए सात दशक से ऊपर हो गए और विकासात्मक कार्य हो भी रहा है किन्तु जिन लक्षित समूह के लिए सी० ए० सी० एल० कार्य कर रहा है, उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है । हम नित्य बच्चों की शिक्षा और बाल श्रम से मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं किन्तु प्रयत्न के सापेक्ष में परिणाम नहीं आ रहा है । अभी तक हम अभिवंचित बच्चों की शिक्षा मुक़र्रर नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात भी हो रही है । परिस्थिति के इस दौर में कोविद-19 के प्रकोप से बाल श्रम की स्थिति में और इजाफा भी हुआ है । हमारे प्रदेश के जो श्रमिक इस अवधि में अपने परिवार के साथ घर लौटे हैं, सरकार के स्तर से उनके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। फलतः वे बच्चे बाल श्रम की ओर प्रवृत्त हो रहे है । सरकार बाल श्रमिकों क प्रति दायित्व निर्वहन में अक्षम साबित हो रही है।

नेशनल एड्वोकेशी यूनिट ऑफ सी० ए० सी०एल० के राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक कुमार ने सी० ए० सी० एल० की स्थापना क उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य बाल श्रम से सम्बन्धित 1986 के कानूनों का institutionalise करना था। उनहोंने कहा कि सी०ए०सी०एल० का एक लोकतान्त्रिक ढांचा है जिसमें सारी गतिविधियाँ लोकतांत्रिक तरीके से समपन्न होती हैं। इसकी गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए श्री कुमार ने कहा कि इस संस्था ने बाल श्रमिकों के मुद्दे को Exclusively उठाया है । इसके साथ ही इसने बाल श्रमिक से सम्बंधित दस्तावेजों का अध्ययन, दस्तावेजीकरण तथा सिफारिस भी किया है । बिहार के सन्दर्भ में बोलते हुए श्री कुमार ने कहा कि बाल श्रमिकों की श्रेणी में बिहार भारत का तीसरा राज्य है । जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान आता है । यहाँ बाल श्रम की वार्षिक वृद्धि दर 2.7% है जिसे कोविड-19 के कुप्रभाव ने और बदतर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब बाल श्रमिकों से सम्बंधित परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच बनाया जाए । बाल श्रम उन्मूलन के सन्दर्भ में उन्होंने सीधी कार्यवाही को रेखांकित किया जिसमें सम्बंधित परिवार की पहचान, वचाब, पुनर्स्थापना और सामजिक सुरक्षा प्रमुख है।

शिक्षाविद श्री अक्षय कुमार ने बच्चों के नामांकन एवं ठहराव के मुद्दे पर अपने विचारों को रखते हुए सर्वप्रथम नामांकन की अवधारणा को रेखांकित किया । उन्होंने कहा कि कोविड-19 के पूर्व नामांकन की जो अवधारणा गढ़ी गयी है, उसके आधार पर आगे बढ़ने की बात शोंचना, एक भय की स्थिति पैदा करता है । इसके साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया भी उसी दिशा में जा रही है । बाल मजदूरी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए श्री

कुमार ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था किसी भी समस्या के पृष्ठभूमि में जाने और उसे समझाने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई पड़ती है। आज समस्या की पृष्ठभूमि में जाकर उसे अध्ययन करने के लिए समय और मेथोडोलोजी का अभाव है। हालांकि ढांचागत और विचारधारा को भी बाल श्रम के समस्या में प्रमुख मानते हुए इसके reorientation की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रधान मंत्री के इस युक्ति **"संकट से अवसर पैदा करना है"** को रेखांकित करते हुए कहा कि सी०ए०सी०एल० को भी आधुनिक तंत्र में छूटते हुए लोगों को समावेशित करने के लिए उत्प्रेरित करने की आवश्यकता है। समावेशन के लिए पंचायत और प्रखंड को यूनिट मानकर काम करने की आवश्यकता है । बाल मजदूरी के उन्मूलन में ऑर्गेनिक असमानता का भी हाथ है जिसकी गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है और ऐसा पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर करने की जरुरत है । उन्होंने कहा कि हमलोग बाल मजदूरी को सामाजिक चेतना के नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं। केवल रेसक्यू ही बाल श्रम उन्मूलन का समाधान नहीं है बल्कि इससे भी आगे जाकर बाल श्रम के उन्मूलन का स्थाई समाधान ढूँढने की जरुरत है।

आर०टी० फोरम के राज्य संयोजक डॉ० अनिल कुमार राय ने नामांकन एवं ठहराव के मुद्दे पर अपने विचारों को रखते हुए कहा कि बाल मजदूरी के सन्दर्भ में कैसे discourse के dimension को वदलने की बात चल रही है। कोविड के दौरान ज्योति द्वारा अपने पिता को साइकिल से घर वापस लाने की घटना को सती प्रथा से जोड़ते हुए श्री राय ने कहा कि किस प्रकार से किसी मुद्दे के स्याह पक्ष को ढंकने के लिए एक दिखावटी तस्वीर गढ़ी जाती है और लोगों को भ्रमित किया जाता है । इस महामारी में बाहर से काफी लोग अपने घर लौटे जिनमें अधिकांशतः मजदूर और उनके बच्चे थे । अगर अपने ही राज्य में उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होते तो उन्हें ऐसा दुर्दिन नहीं देखना पड़ता । इस प्रकार से कोविड के दौरान मजदूरों के घर वापसी ने बिहार के रोजगार व्यवस्था की पोल खोल दी है । बिहार में कोविड के बाद जिलों में कराई गयी एक अध्ययन के सन्दर्भ में उन्होंने कहा कि 37% लड़कियों के सम्बन्ध में उम्मीद नहीं है कि वे फिर से स्कूल तक पहुँच सकेंगी। बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट और इसमें शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बार शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है जो पहले 59 हजार करोड़ रूपया था वो अब मात्र 54 हजार करोड़ रह गया है । इसी प्रकार मध्यान भोजन के बजट को भी 12,900 करोड़ रुपये से घटा कर 11,500 करोड़ रूपया कर दिया गया है। इस तरह से शिक्षा और MDM के कटौतिपूर्ण बजट से किस प्रकार से बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा और मध्याह्न भोजन मिल सकेगा। बिहार में ड्राप आउट की स्थिति भी चिंताजनक है । अपने राज्य में 8वीं-9वीं तक छात्राओं की ड्राप आउट दर अधिक है। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते 32.8% बालक ड्राप आउट हो जाते हैं और ये बच्चे बाल मजदूरी में संलिप्त हो जाते हैं किन्तु कोविड ने इस स्थिति को और बढाया है।

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के राज्य संयोजक एवं सेंटर डायरेक्ट संस्था के सचिव श्री प्रमोद शर्मा ने अपनी प्रस्तुति के दरम्यान माइका माइंस में काम कर रहे बच्चों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने झारखंड और बिहार के माइका खनन क्षेत्रों में बच्चों के वेहतरी पर एक सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य माइका खनन क्षेत्रों में बच्चों की शैक्षिक स्थिति का पता लगाना है तथा उन बच्चों की संख्या का आकलन करना, जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं । क्या बच्चे माइका स्क्रैप इकट्ठा करने में शामिल हैं? एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड और बिहार के छह से 14 साल के 5,000 से अधिक

बच्चों ने अभ्रक खनन जिलों में शिक्षा से इतर हो गए हैं और उनमें से एक वर्ग ने अपने परिवार की आय के पूरक के रूप में काम करना शुरू कर दिया है।

नेशनल एड्वोकेशी यूनिट ऑफ़ सी०ए०सी०एल० के नेशनल एडवोकेसी समन्वयक श्री के० के० त्रिपाठी ने ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर पर अपने बिचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह पद्धति परस्पर बिचारों को आदान-प्रदान करने में बहुत कारगर साबित होगा जबकि सकारात्मक ज्ञान साझा करने में आज गैपिंग आधारित जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे पाटा जा सकता है। यह सेंटर होलिस्टिक लर्निंग को बढ़ावा देगा। अगर हमारा एप्रोच बड़ा होगा तो उसका परिणाम भी दीर्घकालिक होगा। इसके माध्यम से अंतर राज्यीय समन्वयन समिति भी गठित किया जा सकता है जो हमलोगों को इनरिच करने में सहयोग करेगा । इसके सहारे चाइल्ड लेबर इनफार्मेशन सेंटर स्थापित किया जा सकता है।

श्रीमती ऋतु मिश्रा कार्यक्रम समन्वयक, उत्तरी प्रक्षेत्र, नई दिल्ली, तेरे देश होम जर्मनी, इंडिया कार्यक्रम ने अपने बिचारों को रखते हुए कहा कि इस कोविड महामारी ने हमें किस हद तक अमानवीय बना दिया है, यह एक विचारणीय पहलू है। इस वीमारी के भय से लोग अपनों से भी दूर रहने का प्रयास करने लगे हैं । इस वीमारी की अवधि में सरकार का चेहरा भी बदल कर आया है । आगे उन्होंने निजीकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है किन्तु इस सरकार ने इसे और बढ़ाने का काम कर रही है । इसका बाल मजदूरी पर भयंकर प्रभाव होगा और फैलती इस निजी व्यवस्था में बाल श्रम तक कैसे पहुँच पायेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है। उन्होंने कहा कि परियोजना से बड़े बदलाव नहीं लाए जा सकते हैं । आन्दोलन एवं अभियान का स्वरुप सिमटता जा रहा है। पढाई के दायरे बदलते जा रहे हैं । बाल मजदूरी उन्मूलन के सन्दर्भ को आलोकित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अभियान में शामिल करने की आवश्यकता है तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग करने पर बल दिया। उन्हें मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है। परियोजनाओं का निर्माण युवाओं को आधारित करके बनाने की आवश्यकता है। साथ ही श्रीमती मिश्रा ने सोशल मीडिया के द्वारा बाल मजदूरी के प्रति लोगों को जागरुक करने तथा युवाओं को संगठन के राज्य इकाई में स्थान देने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर बाल संरक्षण समिति के communication के mechanism को भी विकसित करने की जरुरत है।

सी०ए०सी०एल० का जिला स्तरीय क्षेत्रानुभव

इस परामर्श में सी०ए०सी०एल० बिहार के नेटवर्क से जुड़ी हुई विभिन्न जिलों से आए हुए संगठन के साथियों ने भी अपना-अपना अनुभव साझा किया-

इस क्रम में गया जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए सेंटर डायरेक्ट संगठन के साथी श्री सुरेश कुमार न कहा कि प्रतिष्ठानों के अलावे और अन्य जगहों पर पर बाल श्रम की मांग बढ़ी है । इसके अतिरिक्त बाल श्रमिकों की समस्याएँ भी बढीं हैं। बाल श्रमिकों को अग्रिम भुगतान के द्वारा जाल में फंसाया जाता है और इस बाधा के कारण बच्चे तथा उनके परिवार को इससे मुक्ति पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए संस्था निर्देश के प्रतिनिधि श्री उदय शंकर शर्मा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि एक ओर आज समाज कोविड से सामजिक एवं आर्थिक स्तर पर पीड़ित है जिसके कारण बाल श्रम की स्थिति भयावह हुई है। दूसरी ओर ऑनलाइन एडुकेशन की बात कर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है ।

कोविड के इस दौर में बाल व्यापार बढ़ा है जिसे रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार परिवार के साथ-साथ बालकों को भी नौकरी के नाम पर प्रभावित कर बाल श्रम के दल-दल में ढकेल देते हैं।

मुंगेर जिला से आए हुए संस्था दिशा विहार के सचिव श्री अभय कुमार अकेला ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कोविड के दौरान लोगों में दहशत का आलम व्याप्त कर दिया गया था खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में। समाज के अमुखर लोगों के द्वारा इस तरह भ्रांतियां फैलाई गईं कि इस महामारी के फैलाव का श्रोत केवल और केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही हैं। उन्होंने कहा कि दहशत के कारण लोगों की भूख भी समाप्त हो गयी थी। सरकार के द्वारा भी सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। किन्तु लौक डाउन की स्थिति में भी हमलोग तीन-चार साथी परिचय पत्र तैयार कर लोगों तक संस्थागत सुविधाओं को हरसंभव पहुँचाने का प्रयास किया।

वैशाली से संस्था नारायणी सेवा संस्थान के प्रतिनिधि श्री मुकेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार का रवैया बाल श्रमिकों के प्रति पहले से भी ठीक नहीं रहा है और कोविड के दरम्यान प्रवासी मजदूरों के साथ जो भी बच्चे घर आए उनके सहयोग क लिए सरकार के स्तर से कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी । अपने आर्थिक समस्याओं के कारण कोविड की अवधि में ही बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने बच्चों के साथ अपने पूर्ववत कार्य स्थल पर लौट भी गए। चूकि राज्य में उन्हें रोजगार का कोई अवसर नहीं दिख रहा था । दूसरी ओर अभी भी समाज में लोग बाल मजदूर के संरक्षण में आगे आने से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें भी सरकार के कायराना हरकतों का सामना करना पड़ता है।

मुक्त सदन परिचर्चा

अपने इस विवेचना के तहत बिहार बाल आबाज मंच क राज्य संयोजक श्री राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अगर विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक बच्चे बाल श्रम से मुक्त नहीं हो सकत हैं । बिहार में अभी भी जहां एक ओर बच्चों के लिए विद्यालयों की आवश्यकता है वहां दूसरी ओर सरकार विद्यालयों का विलोपन कर रही है। ऐसी स्थिति में बाल श्रम का रुकना असंभव प्रतीत होता है। अभिवंचित समुदाय के बच्चों को बाल श्रम की ओर बढ़ते भटकाव से रोकने की आवश्यकता है। शिक्षा के अधिकार का अर्थ जीने के अधिकार से है।

सामजिक कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार मल्लिक ने अपन विचारों को रखते हुए कहा कि नियम बनाने वाले और जमीन पर कार्य करने वाले लोगों के बीच एक गैप है जो बाल श्रम उन्मूलन के मार्ग में बाधक साबित हो रहा है और इस संदर्भ में प्रकार्य के प्रकट एवं निहित उदेश्यों को समझना एवं राजनैतिक-आर्थिकी को समझने की आवश्यकता है और इसके लिए कई तरह के अभिस्थापन की आवश्यकता होगी।

कलेक्टिव कोयलिशन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिहार (CCHT Bihar) के राज्य संयोजक श्री बाई० के० गौतम ने आयोजन की प्रासंगिकता पर बल देते हुए कहा कि बाल व्यापार से मुक्ति के लिए हमलोगों ने राज्य के सात नेटवर्क जिसका सी०ए०सी०एल० भी अभिन्न हिस्सा है, को मिलाकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण किया गया है जो CCHT Bihar के नाम से जाना जाता है । इसका पूरे राज्य में एक संरचना तैयार है । हर नेटवर्क को अलग-अलग प्रमंडल का दायित्व दिया गया है जिसमें मुंगेर प्रमंडल सी०ए०सी०एल० के दायित्व के दायरे में है । उन्होंने

कहा कि सी०ए०सी०एल० को मुंगेर प्रमंडल के किसी वैसा जिला जिसमें बाल श्रम की अधिकता हो, के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमलोग मिलजुल कर कार्य करेंगे।

सेंटर डायरेक्ट के सचिव श्री प्रमोद शर्मा ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया एवं समस्याओं को बच्चे के नजरिये से भी समझने एवं योजनाओं के निर्माण में बच्चों को सम्मिलित करने के लिए ध्यान आकृष्ट किया।

भावी कार्य योजना

भावी कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए वरीय मार्गदर्शक श्री अक्षय कुमार ने कतिपय प्रमुख बिन्दुओं को उठाते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के सन्दर्भ में हमारी कार्य योजना समग्रता में होनी चाहिए । बाल श्रम के राजनैतिक निहितार्थ तो हैं ही लेकिन इसके सामाजिक-आर्थिक पक्ष को केंद्र में रखकर योजनाओं का निर्माण होना चाहिए जिससे राजनैतिक इंटेंशन को बच्चों के संदर्भ में कम किया जा सके एवं वास्तविक अर्थ में बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्य किया जा सके । इन्होंने ढांचागत सुधारों पर बल दिया एवं सामाजिक संरचना में किये जानेवाले परिवर्तनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया । उन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लोग रेप्लीकेशन की प्रक्रिया को अपनाएं। आज मानवीय संवेदना को सामजिक चेतना में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आगामी कार्य योजना हेतु निम्नांकित बिंदु निर्धारित किए गए-

- ऑन लाइन रिसोर्स केंद्र का सृजन
- नेटवर्क का सशक्तिकरण
- प्रखंड स्तर पर बाल गरिमा जन अभियान का संचालन
- युवा केन्द्रित परियोजना निर्माण
- सघन बाल श्रम वाले एक जिला को चिन्हित कर उसे मोडल जिला के रूप में विकसित करना

प्रथम सत्र के अन्त में श्री चंद्रभूषण ने अपने अध्यक्षीय भाषण देते हेतु कहा कि बाल श्रम एक राष्ट्रीय अभिशाप है। इसका उन्मूलन स्वस्थ्य एवं विकसित समाज के लिए आवश्यक है । आज के परामर्श में हमलोगों के बीच जिन विचारों का आदान-प्रदान हुआ है, उसकी क्रियात्मकता पर हमलोगों को गंभीरता पूर्वक अमल करना चाहिए। अध्यक्षीय धन्यवाद के उपरांत सत्र समाप्त हुआ।

द्वितीय-सत्र

भोजनावकाश के उपरांत दूसरे सत्र की बैठक प्रारंभ हुई जिसकी अध्यक्षता एच०एल०एन० के राज्य संयोजक श्री प्रमोद शर्मा ने की। सत्र का संचालन डॉ० अनिल कुमार राय ने की । इस सत्र में सी०ए०सी०एल०बिहार के राज्य संयोजक का चुनाव एवं नेटवर्क को कैसे सशक्त किया जाय, पर विचार किया गया । सर्वप्रथम राज्य संयोजक नवलेश कुमार सिंह ने विगत वर्षों में नेटवर्क के द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया।

तदुपरांत डॉ० अनिल कुमार राय ने राज्य संयोजक के चुनाव की प्रक्रिया को आरम्भ किया जिसके आलोक में सर्वप्रथम 11 सदस्यीय कोर कमिटी का चयन किया गया । कोर कमिटी के चयनित सदस्यों का नाम निम्नवत है-

1. श्री चंद्रभूषण
2. श्री प्रमोद शर्मा
3. श्री नवलेश कुमार सिंह
4. डॉ० अनिल कुमार राय
5. श्रीमती सुमन सिंह
6. श्रीमती आभा चौधरी
7. श्री कपिलेश्वर राम
8. श्री विनोद रंजन
9. श्री संजय शास्त्री
10. श्री रवींद्र नाथ राय
11. श्री राजेन्द्र मल्लिक

कोर कमिटी के सदस्यों नें नवलेश कुमार सिंह के पूर्व के कार्यों पर विचार करते हुए अगले काल के लिए पुनः सर्वसम्मति से सी०ए०सी०एल० बिहार के राज्य संयोजक का दायित्व पुनः सौपने का निर्णय लिया । इसके साथ ही आगामी कार्य योजना के तहत ऊपर वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त 30 अप्रैल, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस को प्रमंडल स्तर पर तथा 12 जून, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम के विरुद्ध दिवस को राज्य स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

दूसरे सत्र के अंत में श्री प्रमोद शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण के तहत अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि बाल श्रम हमलोगों के लिए एक गंभीर चुनौती है । कोविड-19 ने इसकी व्यापकता को बढाया है । इसलिए इससे उबरने के लिए हमलोगों को मिशन मोड में काम करना होगा । अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत परामर्श की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रतिवेदक : सी०ए०सी०एल० बिहार

……x……

CONSULTATION
64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme 7i

CONSULTATION
Impact of Covid-19 on Child Labour
64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme 7i

CONSULTATION
64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme 7i

CONSULTATION
Theme : Impact of Covid-19 on Child Labour
Place : A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna
Date : 19 March, 2021
Time : 9.30 AM to 3.30 PM
64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme 7i

CONSULTATION
Theme : Impact of Covid-19 on Child Labour
64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme 7i

CONSULTATION
Theme : Impact of Covid-19 on Child Labour
64MP AI QUAD CAMERA
Shot on realme 7i